फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल चन्देल निवासी अम्बिका चौक, जल चक्की, कॉकरोली, जिला राजसमन्द

– **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

– **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 45/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 15.09.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः प.1( )सू0अ0,05/2020/739–40 दिनांक 14.09.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 23.07.2020 को व इस अनुभाग को दिनांक 23.07.2020 को प्राप्त हुआ हैं। आरटीआई आवेदन 20.07.2020 से चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को जरिये पत्रांक 548 दिनांक 24.07.2020 से लिखा गया कि आरटीआई आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर आवेदन में वर्णित बिन्दु संख्या 01 से 04 में वर्णित पत्रांक से यह स्पष्ट नही हों पा रहा है कि उक्त पत्रांक जो आप द्वारा वर्णित किये गये है वह कार्यालय के किस अनुभाग से संबंधित हैं साथ ही उक्त पत्रांक काफी वर्ष पूर्व के है जिसे कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में आरटीआई की धारा 7(9) के तहत खोजा जाना भी संभव नही हैं। बिन्दु संख्या 01 से 04 में वर्णित पत्रांको का ब्योरा स्पष्ट रूप से देवे (या वर्णित पत्राकों की प्रतियॉ) ताकि उक्त बिन्दुओं के सबंध में पूर्ण समीक्षा कर सबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना तक पहूॅच बनाई जा सके। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 04 के सबंध में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें बिन्दु संख्या 04 में वर्णित पत्रांक कार्यालय के स्थापना अनुभाग का होना प्रतीत होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक 669 दिनांक 27.08.2020 से सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 1189 दिनांक 14.09.2020 से सूचना इस अनुभाग को भिजवाई गई। वह प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 733 दिनांक 14.09.2020 से सूचना के अधिकार अधिनियम,05 की धारा 7(6) के तहत प्रार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड प्रेषित की जा चुकि हैं। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 03 में वर्णित पत्रांक जो कि अन्य विभागों के पत्रांक है जिसके संबंध में प्रार्थी को इस अनुभाग के पत्रांक 548 दिनांक 24.07.2020 से लिखा गया कि वह कार्यालय के किस अनुभाग से	

न्यायालय जिला कलक्टर

M

संबंधित हैं साथ ही उक्त पत्रांक काफी वर्ष पूर्व के है जिसे कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में आरटीआई की धारा 7(9) के तहत खोजा जाना भी संभव नही हैं। बिन्दु संख्या 01 से 03 में वर्णित पत्रांको का ब्योरा स्पष्ट रूप से देवे (या वर्णित पत्राकों की प्रतियॉ) ताकि उक्त बिन्दुओं के सबंध में पूर्ण समीक्षा कर सबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना तक पहूँच बनाई जा सके। कोई ब्यौरा प्रस्तुत नही कर सीधे ही प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन पत्र से मांगी गई सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 01 से 03 तक उक्त पत्रांक अन्य विभागों के होकर काफी वर्ष पूर्व के है जिसे कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में आरटीआई की धारा 7(9) के तहत खोजा जाना संभव नही हैं। तथा बिन्दु संख्या 04 की सूचना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई। वह प्रार्थी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकि हैं। अतः कृपया अपील को निर्णित करना फरमावें।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अबलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना में बिन्दु संख्या 01 से 03 में वर्णित पत्रांको का ब्योरा स्पष्ट नही होने व बिन्दु संख्या 04 की सूचना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जाने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)